



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ज्ये" B 2, 1939

No. 395]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

सा.का.नि. 493(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (मत्स्यालय और मत्स्य टैंक पशु दुकान) नियम, 2016 का प्रारूप भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 162(अ), तारीख 22 फरवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 22 फरवरी, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (मत्स्यालय और मत्स्य टैंक पशु दुकान) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "मत्स्यालय" से कोई सुविधा या स्थापना, जहां मत्स्य टैंक पशु प्रदर्शित किए जाते हैं, अभिप्रेत हैं ;

(ग) "मत्स्यालय ऑपरेटर" से कोई व्यक्ति जिसका मत्स्यालय के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण है, अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत -

(i) किसी फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम की दशा में, उसका कोई भागीदार या सदस्य;

(ii) किसी कंपनी की दशा में कोई निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जो मत्स्यालय के कार्यों के लिए कंपनी के भारसाधन में और उत्तरदायी है; या

(iii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन मत्स्यालय या किसी न्यास या सोसायटी जो केंद्रीय सरकार या राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्त पोषित हो, की दशा में, यथास्थिति उस सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग का सचिव है ;

(घ) "मत्स्य कटोरा" से जीवित मछली को रखने के लिए कोई कटोरा अभिप्रेत है;

(ङ.) "मत्स्य विशेषज्ञ" से कोई व्यक्ति जिसमें किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य ज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य प्राप्त की है, अभिप्रेत है;

(च) "मत्स्य दुकान" से कोई दुकान, स्थान या परिसर, जहां मत्स्य टैंक पशु पाले, रखे या व्यापार के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, या फिश टैंक पशुओं के व्यापार से अंतर्वलित कोई कारबार और इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं जिस पर मत्स्य टैंक पशुओं का व्यापार किया जाता है।

(छ) "मत्स्य टैंक" से मत्स्य टैंक पशुओं को रखने के लिए कोई पात्र, भंडारण टैंक, वैसल अभिप्रेत है;

(ज) "मत्स्य टैंक पशु" से कोई जीवित मछली या अन्य जीवित जलीय पशु अभिप्रेत है;

(झ) "मत्स्य दुकान स्वामी" से कोई व्यक्ति जो किसी मत्स्य दुकान का स्वामी है या उसका प्रबंधकर्ता है अभिप्रेत है;

(ञ) "प्ररूप" से पहली अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ट) "निरीक्षक" से राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी मत्स्य दुकान या मत्स्यालय के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ढ) "कुल मत्स्य लंबाई" से कॉडल टेल को छोड़ते हुए, किसी पूर्ण विकसित व्यस्क मछली की लंबाई पर परिकलित टैंक में सभी मछलियों की लंबाई का योग अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. विनाशक मत्स्य प्रथाएं – कोई मत्स्यालय या मत्स्य दुकान विनाशक मत्स्य प्रथाओं, जिसके अंतर्गत-

(i) स्तही महाजाल से मछली पकड़ना;

(ii) साइनाइड फिशिंग;

(iii) मछली को मारने या अचेत करने के लिए विस्फोटकों या डाइनामाइट का उपयोग करना;

(iv) कराल रीफ से जाल में पकड़ी गई; या

(v) किसी संरक्षित क्षेत्र से जाल में कड़ी गई है,

द्वारा पकड़े गए मत्स्य टैंक पशुओं का स्रोत नहीं बनेगा।

भाग 2

मत्स्यालय

4. प्रदर्शन का प्रतिषेध – (1) राज्य पशु कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना कोई मत्स्यालय कार्य नहीं करेगा।

(2) कोई मत्स्यालय निम्नलिखित को नहीं रखेगा, नहीं पालेगा या प्रदर्शित नहीं करेगा, -

- (क) किसी कैटेथियन, पेंग्विन, ऑटर, मेनेटीस, सीटरटल और समुद्री टरटल, कृत्रिम रूप से रंगी गई मछली, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का 53 में सूचीबद्ध मत्स्य टैंक पशुओं की कोई प्रजाति या कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पेशिज़ के परिशिष्ट 1 के अधीन सूचीबद्ध कोई प्रजाति ; या
- (ख) दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कोई प्रजाति ।

(3) कोई मत्स्यालय मत्स्य टैंक पशुओं से अन्यथा पशुओं को नहीं रखेगा, नहीं पालेगा या प्रदर्शित नहीं करेगा ।

5. विद्यमान मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन – (1) मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नियम 8 के उपबधों के अनुसार राज्य बोर्ड को किया जाएगा :

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व विद्यमान सभी मत्स्यालय इन नियमों के अनुसार ऐसे प्रारंभ से छह मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेंगे ।

परंतु यदि कोई विद्यमान मत्स्यालय उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान्यता अभिप्राप्त करने में विफल रहता है तो मत्स्यालय कार्य करना बंद करेगा ।

(3) यदि विद्यमान मत्स्यालय की अभिरक्षा में कोई प्रतिषिद्ध प्रजाति जैसे नियम 4 के अधीन है, तो –

(क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन संरक्षित प्रजातियों की दशा में, वन विभाग उसकी अभिरक्षा लेगा;

(ख) अन्य प्रतिषिद्ध प्रजातियों की दशा में वे किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को सौंपी जाएगी ;

6. नए मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन – (1) जब कोई मत्स्यालय ऑपरेटर कोई मत्स्यालय स्थापित करना चाहता है तो वह किसी उपयुक्त स्थान की पहचान करेगा और नियम 7 के अनुसार महायोजना विकसित करेगा ।

(2) मत्स्यालय ऑपरेटर निर्माण से पूर्व महायोजना को राज्य बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(3) राज्य बोर्ड महायोजना को अनुमोदन प्रदान कर सकेगा या और उपांतरण चाह सकेगा या प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगा ।

(4) निर्माण पूरा होने पर राज्य बोर्ड, यह सुनिश्चित करेगा कि महायोजना में सूचीबद्ध सभी सुविधाएं इन नियमों की अपेक्षानुसार हैं ।

(5) राज्य बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हुए, इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जैसी वह उपयुक्त समझे ।

(6) मेलों या बाजारों या प्रदर्शनियों में, जहां स्थायी सुविधाओं का अभाव है, अस्थायी स्टाल में कोई मत्स्यालय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

7. विकास और योजना – (1) प्रत्येक मत्स्यालय राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्लूप्रिंट और संग्रहण योजना वाली महायोजना तैयार करेगा ।

(2) ऐसे मत्स्यालय जो इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रवर्तन में हैं इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास के भीतर महायोजना तैयार करेंगे और उसे राज्य बोर्ड से अनुमोदित कराएंगे ।

(3) उप नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट महायोजना जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ दस वर्ष की अवधि के लिए मत्स्यालय का समग्र विकास है और मत्स्य टैंक पशु प्रदर्शन क्षेत्र, आगंतुक सुविधाएं, मत्स्य टैंक पशु रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्थक और संरचना, प्रशासन और रखरखाव एकक के लिए भवन उपदर्शित करते हुए मत्स्यालय द्वारा अंगीकृत थीम के आधार पर तैयार विस्तृत ले आउट योजना सहित प्रत्येक पांच वर्ष में पुनरीक्षित की जाएगी ।

(4) प्रत्येक मत्स्यालय सभी "पक्का" भवनों, जिसके अंतर्गत आगंतुक सुविधाएं हैं, ऐसी रीति में पता लगाने और डिजाइन करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतेगा, जिससे कि मत्स्य टैंक पशु प्रदर्शन क्षेत्र आच्छादित न रहे और मत्स्यालय की सफाई और स्वच्छता प्रभावित न हो ।

(5) प्रत्येक मत्स्यालय, राज्य बोर्ड और स्थानीय मत्स्य विभाग के साथ परामर्श करके प्रजातियों के समान्य स्वास्थ्य और कल्याण, प्रजातियों के उचित रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्थान और अवसंरचनात्मक सहयोग

की उपलब्धता तथा प्रजातियों के प्रबंधन में मत्स्यालय का पूर्व अभिलेख के लिए मत्स्यालय की शर्तों की अनुकूलता को सम्यक ध्यान देते हुए मत्स्यालय में रखे जाने, पालने या प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक प्रजाति के मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजाति के नाम और अधिकतम संख्या उपदर्शित करते हुए एक संग्रहण योजना तैयार करेगा।

- (6) कोई मत्स्यालय नई प्रजातियों को रखने के लिए या अपने संग्रहण में प्रजातियों के अतिरिक्त मत्स्य टैंक पशुओं के लिए मत्स्य टैंक पशुओं के आवास और रखरखाव मानकों पर समझौता नहीं करेगा।
8. **मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन हेतु फीस** – नियम 5 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के संबंध में संबंधित राज्य के “राज्य पशु कल्याण बोर्ड” के पक्ष में मानदेय ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के माध्यम से पांच हजार रुपये की फीस संदत्त की जाएगी।
9. **मत्स्यालय रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज और विशिष्टियां** (1) नियम 5 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी और प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां और निम्नलिखित दस्तावेज भी अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-
- (क) स्थानीय मत्स्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र; और
- (ख) तटीय जोन में किसी मत्स्यालय की दशा में राष्ट्रीय तट प्रबंधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
10. **मत्स्यालय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना** – (1) राज्य बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक मत्स्यालय की सुविधा को राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि, एक मत्स्य विशेषज्ञ और स्थानीय प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि से समाविष्ट टीम द्वारा निरीक्षण करवाएगा और टीम सुविधा के निरीक्षण के पश्चात् राज्य बोर्ड को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (2) राज्य बोर्ड, का यह समाधान हो जाने पर कि मत्स्यालय इन नियमों के अनुरूप है, रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा।
- (3) राज्य बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर निपटाएगा।
- (4) राज्य बोर्ड मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करेगा, यदि –
- (क) इन नियमों में दी गई अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती हैं; या
- (ख) आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई गई हों या आवेदक ने आवेदन में तात्विक और जानबूझकर मिथ्या कथन किए हैं या राज्य बोर्ड को झूठे और जाली अभिलेख प्रदान किए; या
- (ग) आवेदक को मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रक्रम पर अधिनियम या वन्यजीव वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या
- (घ) आवेदक ने निरीक्षक या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि को अपनी सुविधाओं के लिए मुक्त और अबाधित पहुंच अनुज्ञात करने से इंकार किया है।
- (5) जहां राज्य बोर्ड, मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करता है, वहां राज्य बोर्ड उसके लिए कारणों को लिखित में सूचित करेगा।
- (6) राज्य बोर्ड सभी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालयों से अंतर्विष्ट रजिस्टर रखेगा।
- (7) मत्स्यालय को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्
- (क) रजिस्ट्रीकरण दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए होगा;
- (ख) मत्स्यालय, मत्स्यालय के अनुरक्षण और रखरखाव के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा; और
- (ग) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनंतरणीय होगा।

11. **जांच करने और मत्स्यालय से सूचना मांगने की शक्ति** – राज्य बोर्ड, इन नियमों के अधीन मत्स्यालय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ऐसी जांच कर सकेगा और आवेदक ऐसी और सूचना मांग सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
12. **रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण**-- (1) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई मत्स्यालय रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्ररूप 2 में रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से नब्बे दिन पूर्व के भीतर राज्य बोर्ड को आवेदन करेगा।
(2) नियम 5,6,7,8 और 9 के उपबंध रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए लागू होते हैं।
13. **साधारण अपेक्षाएं** – (1) प्रत्येक मत्स्यालय शारीरिकतः, आनुवांशिकतः और व्यवहारिकतः स्वस्थ मत्स्य टैंक पशुओं की जनसंख्या बनाए रखेगा।
(2) प्रत्येक मत्स्यालय उचित अवसंरचना के माध्यम से राज्य बोर्ड द्वारा जारी निदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में समुचित आवास प्रदान करेगा और मत्स्य टैंक पशुओं के लिए नैसर्गिक पर्यावरण प्रदान करेगा।
(3) प्रत्येक मत्स्यालय आगंतुकों के संचालन को ऐसी रीति में विनियमित करेगा, जिससे कि मत्स्य टैंक पशु असम्यक रूप से उत्तेजित, तंग या उकसाए न जाए तथा मत्स्यालय सप्ताह कम से कम एक दिन बंद रखा जाएगा।
(4) प्रत्येक मत्स्यालय, अवनियमित आगंतुकों की पहुंच और उकसाए और चुराए जाने वाले मत्स्य टैंक पशुओं के विरुद्ध रक्षोपाय के रूप में मत्स्य टैंकों के साथ-साथ समुचित रोक डिजाइन करेगा और आगंतुकों को मत्स्य टैंकों के बहुत निकट जाने या मत्स्य टैंक को थपथपाने या छूने से हतोत्साहित करने वाले समुचित साइनेज प्रदर्शित करेगा।
(5) प्रत्येक प्रगति ऐसी रीति में रखी जाएगी, जिसमें वे मुक्त रूप से तैर सकें।
(6) जब कभी कोई मत्स्यालय जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशुओं को आश्रय हेतु स्वीकृत करने का विनिश्चय करता है तो जिस स्रोत से पशु प्राप्त किया गया है, उसको प्राप्त करने की वैधता, मत्स्यालय में उसके आश्रय, रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल हेतु उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट राज्य बोर्ड को भेजी जाएगी।
14. **पशु चिकित्सा और अवसंरचनात्मक सुविधाएं** - (1) प्रत्येक मत्स्यालय में –
(क) एक मत्स्य चिकित्सक या मत्स्य विशेषज्ञ होगा, जो उसके संग्रहण में सभी मत्स्य टैंक पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल के पर्यवेक्षण के प्रयोजन के पूर्ण कालिक नियोजन में होगा;
(ख) उपचार कक्ष के लिए समुचित सुविधाएं होंगी।
(2) प्रत्येक मत्स्यालय ने रोगी, क्षतिग्रस्त या जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशुओं को करंतीन रखने के प्रयोजन के लिए उनके उपचार और ठीक होने की अवधि के दौरान मत्स्य टैंक निर्मित या प्रतिष्ठापित करने के साथ एक अलगवाव कक्ष होगा।
(3) प्रत्येक मत्स्यालय ऑपरेटर प्रत्येक मत्स्यालय को उसके मत्स्य विशेषज्ञ के लिए यथाअपेक्षित सहायक स्टाफ प्रदान करेगा।
(4) प्रत्येक मत्स्यालय स्थानीय मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं और संगठनों के साथ निम्नलिखित उद्देश्यों की व्यवस्था करने के लिए सहबद्ध होगा –
(क) गंभीर प्रकृति के रोगों के वैज्ञानिक निदान में सहायता और प्रभावी उपचारी उपायों पर सलाह ;
(ख) मत्स्य टैंक पशु हथालन कर्ताओं के प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल स्तर उन्नत करना; और
(ग) करंतीन के लिए और रोगों के फैलने को रोकने के लिए निवारक उपायों के लिए प्रोटोकाल का विकास।
15. **अभिलेख और सूची का रखरखाव** – (1) प्रत्येक मत्स्यालय अपने संग्रहण में मत्स्य की प्रत्येक प्रजाति के अर्जन, मृत्यु और निपटान का अभिलेख राज्य बोर्ड द्वारा अवधारित रीति और प्रपत्र में रखेगा।
(2) प्रत्येक मत्स्यालय राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्रपत्र में खाद्य रजिस्टर और स्वास्थ्य रजिस्टर रखेगा।
16. **शिक्षा और पहुंच क्रियाकलाप** – मत्स्य टैंक पशुओं द्वारा शैक्षिक क्रियाकलाप के रूप में कोई भौतिक हथालन या प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

17. मत्स्यालय द्वारा नियमों का अननुपालन – (1) यदि राज्य बोर्ड या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा किसी मत्स्यालय के निरीक्षण के दौरान इन नियमों की अपेक्षाओं का कोई अतिक्रमण प्रकाश में आता है तो राज्य बोर्ड, मत्स्यालय को नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर नोटिस जारी करेगा कि क्यों न मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाए।

(2) राज्य बोर्ड, यदि मत्स्यालय के प्रत्युत्तर से संतुष्ट न हो या यदि कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो, तो मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करेगा और उसके कारण लिखत में मत्स्यालय के ऑपरेटर को सूचित करेगा:

परंतु यदि मत्स्यालय नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अतिक्रमण हटाता है या परिशोधित करता है तो उस नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य बोर्ड को यह संसूचित करते हुए कि वह ऐसा करेगा, और राज्य बोर्ड समाधानप्रद ऐसा दर्शाता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि मत्स्यालय इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिक्रमण को हटाने या परिशोधित करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत किया जाएगा।

(3) मत्स्यालय, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत किया गया है, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तब तक सील नहीं किया जाएगा –

(क) जब तक नियम 32 में वर्णित ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध अपील करने की अवधि समाप्त न हो गई हो; और

(ख) ऐसी दशा में जहां अपील की गई है और लंबित है, अपील के निपटान तक।

(4) जहां अपील अस्वीकृत की गई है वहां स्थानीय प्राधिकारी राज्य बोर्ड की सिफारिश पर मत्स्यालय को सील करेगा और उसके कब्जे में सभी मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त करेगा तथा इस प्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को सौंपे जाएंगे या किसी क्षेत्र में जो उनका प्राकृतिक पर्यवास में छोड़े जाएंगे।

(5) यदि कोई मत्स्यालय किसी मत्स्य टैंक पशुओं को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा व पाया गया या किसी सुविधा को रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना चलाते हुए पाया गया तो राज्य बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी को सिफारिश करेगा और मत्स्यालय को सील करेगा तथा प्रदर्शित मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त करेगा और इसप्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु उपनियम (4) में बताई गई रीति में निपटाए जाएंगे :

परंतु यदि मत्स्यालय ऑपरेटर निरीक्षण या जांच के समय वचनबंध करता है कि व इन नियमों के अनुसार सात दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा तो उसके आवेदन के निपटान तक मत्स्यालय सील नहीं किया जाएगा।

भाग 3

व्यापार

18. मत्स्य टैंक पशुओं के व्यापार पर प्रतिषेध - (1) राज्य पशु कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के बिना कोई मत्स्य दुकान कार्य नहीं करेगी।

(2) कोई मत्स्य दुकान निम्नलिखित को नहीं रखेगी, आश्रय नहीं देगी, प्रदर्शित या व्यापार नहीं करेगी

(क) किसी कैटेशियन, पेंग्विन, ऑटर, मेनेटीस, सीटरटल और समुद्री टरटल, कृत्रिम रूप से रंगी गई मछली, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का 53 में सूचीबद्ध मत्स्य टैंक पशुओं की कोई प्रजाति या कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पेशिज के परिशिष्ट 1 के अधीन सूचीबद्ध कोई प्रजाति ; या

(ख) दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कोई प्रजाति।

(3) कोई मत्स्य दुकान मत्स्य टैंक पशुओं से अन्यथा पशुओं में व्यापार नहीं करेगी।

(4) कोई मत्स्य दुकान फफूंद से ढके, धंसे पेट, धंसी आंखें, जकड़े या अस्वस्थ फिन, सत्रम श्वसन (प्रायः बिल्कुल विस्तारित गिल कवर सहित), और परजीवियों या रोग के परिणामस्वरूप बाह्य धब्बों वाली मछली का व्यापार नहीं करेगी।

19. रजिस्ट्रीकरण के बिना मत्स्य दुकान चलाने पर प्रतिषेध – (1) कोई मत्स्य दुकान –

(क) मत्स्य टैंक पशुओं के व्यापार में कारबार नहीं करेगी या जारी नहीं रखेगी; या

(ख) इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना मत्स्य दुकान या मत्स्य टैंक पशुओं के व्यापार में लगे हुए किसी अन्य स्थापन को स्थापित या प्रचालित नहीं करेगी :

परंतु इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को किसी मत्स्य दुकान को चलाने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारंभ से तीन मास के भीतर इन नियमों के अधीन मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि यदि प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विहित अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है या इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी कारण के लिए रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है तो राज्य बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी को दुकान को सील करने की सिफारिश करेगा और व्यापार के लिए प्रदर्शित और रखे गए मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त करेगा तथा इस प्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशुओं किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को सौंपे जाएंगे।

20. मत्स्य दुकान का रजिस्ट्रीकरण – (1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन मत्स्य दुकान की रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक

(क) किसी व्यक्ति की दशा में, उसने व्यस्कता की आयु प्राप्त की है और वह स्वस्थ चित्त है तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संविदा करने से निरहित न हो; और

(ख) किसी अन्य दशा में, व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कोई निगम, कंपनी या अन्य व्यक्तियों का संगम है।

(2) मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पहली अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप 3 में उसमें अपेक्षित समस्त जानकारी देते हुए और नियम 23 में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों तथा पांच हजार रुपये अप्रतिदेय फीस संलग्न करते हुए राज्य बोर्ड को किया जाएगा।

(3) मत्स्य टैंक पशुओं में व्यापार के कारबार को करने या जारी रखने के लिए उपयोग में लाए जाने या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित प्रत्येक मत्स्य दुकान या परिसर के लिए किसी व्यक्ति से पृथक आवेदन करना अपेक्षित होगा।

(4) राज्य बोर्ड उपनियम (2) के अधीन मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर स्थानीय प्राधिकारी के किसी प्रतिनिधि, राज्य बोर्ड के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि और किसी मत्स्य विशेषज्ञ से गठित टीम द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाएगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट टीम निरीक्षण करने के पश्चात् राज्य बोर्ड को टीम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(6) राज्य बोर्ड, उपनियम (5) के अधीन प्रस्तुत की गई टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और अपना यह समाधान होने पर कि मत्स्य दुकान इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में है। मत्स्य दुकान और रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा।

(7) राज्य बोर्ड मत्स्य दुकान को रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करेगा, यदि –

(क) नियम 18 और 19 के अधीन दी गई अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती हैं;

(ख) आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना झूठी पाई गई या आवेदक ने आवेदन में तात्विक और जानबूझकर मिथ्या कथन किए हैं या राज्य बोर्ड को झूठे और जाली अभिलेख प्रदान किए हैं; या

(ग) आवेदक को मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके आवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रक्रम पर अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

- (घ) आवेदक ने निरीक्षक या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि को अपनी सुविधाओं के लिए मुक्त और अबाधित पहुंच से इंकार किया है;
- (ङ) आवेदक रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना कोई मत्स्य दुकान चला रहा था और उसके लिए आवेदन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप राज्य बोर्ड की सिफारिश पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त किया गया और उसकी दुकान को सील किया गया और इस प्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को भेजे जाएंगे।
- (8) जहां राज्य बोर्ड मत्स्य दुकान को रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करता है, वहां राज्य बोर्ड लिखत में उसके कारणों को आवेदक को सूचित करेगा।
- (9) राज्य बोर्ड, मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो राज्य बोर्ड आवश्यक समझे –
- (क) उस मत्स्य दुकान के संबंध में आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा; और
- (ख) मत्स्य दुकान के ब्यौरे अभिलेख के प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टिकृत करवाएगा।
- (10) राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और पांच हजार रुपये की फीस के साथ राज्य बोर्ड को किए गए आवेदन पर नवीकृत किया जा सकेगा।
- (11) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र गैर-अंतरणीय होगा।
- (12) प्रत्येक मत्स्य दुकान अपनी मत्स्य दुकान में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रमुखतः प्रदर्शित करेगी और प्रत्येक मत्स्य दुकान बोर्ड पर दुकान में रखी गई मत्स्य की प्रजातियां, चाहे वह विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाती है या नहीं, बोर्ड पर प्रदर्शित करेगी।
- (13) प्रत्येक मत्स्य दुकान स्वामी मत्स्य के क्रय के स्रोत, जो दुकान में लाया जाता है और जिस मूल्य पर उसे खरीदा गया था, का पूरा अभिलेख रखेगा।
- (14) प्रत्येक मत्स्य दुकान राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए अपने परिसर खुले रखेगी।
21. **रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण** – मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्व राज्य बोर्ड को पहली अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप 4 में किया जाएगा और प्रक्रिया नियम 20 के अनुसार होगी।
22. **मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फीस** – नियम 20 के अधीन मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के संबंध में “राज्य पशु कल्याण बोर्ड” के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के माध्यम से संदत्त की जाने वाली पांच हजार रुपये की फीस संदत्त की जाएगी।
23. **मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज और विशिष्टियां** -- (1) नियम 20 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 22 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी और उसमें प्ररूप 3 में विशिष्टियां और निम्नलिखित दस्तावेज भी अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-
- (क) स्थानीय मत्स्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र; और
- (ख) स्थानीय प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र
24. **जांच करने और सूचना मांगने की शक्ति** – राज्य बोर्ड, इन नियमों के अधीन मत्स्य दुकान का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात्, ऐसी जांच कर सकेगा और आवेदक से ऐसी और सूचना मांग सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
25. **अभिलेख और सूची का अनुरक्षण** – (1) प्रत्येक मत्स्य दुकान अपने संग्रहण में मत्स्य की प्रत्येक प्रजाति के अर्जन, मृत्यु, निपटान के अभिलेख राज्य बोर्ड द्वारा अवधारित रीति और प्ररूप में रखेगा।
- (2) प्रत्येक मत्स्य दुकान राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्ररूप में खाद्य रजिस्टर और स्वास्थ्य रजिस्टर रखेगा।

(3) प्रत्येक मत्स्य दुकान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान व्यापार किए गए मत्स्य टैंक पशुओं की कुल संख्या के संबंध में सूचना से समाविष्ट राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्ररूप में सूची रखेगी।

26. नियमों का अननुपालन – (1) राज्य बोर्ड, लिखित शिकायत की प्राप्ति या अन्यथा, मत्स्य दुकान स्वामी द्वारा इन नियमों के किसी अननुपालन की जांच कर सकेगा या उसे सिद्ध करने के लिए निरीक्षक के माध्यम से पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या सोसाइटी द्वारा जांच या परिवाद की जांच करवा सकेगा।

(2) यदि ऐसी जांच या किसी निरीक्षण के दौरान, यह संदेह किया जाता है कि कोई मत्स्य टैंक पशु बीमार है या किसी प्रकार का कष्ट अनुभव कर रहा है, तो कोई निरीक्षक या राज्य बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, -

- (क) मत्स्य दुकान स्वामी से तत्काल मत्स्य टैंक पशु को चिकित्सा या अन्य देखभाल प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा; या
 - (ख) उन कारणों को लिखत में अभिलिखित करने के पश्चात् कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक क्यों हैं और मत्स्य दुकान स्वामी को इस प्रकार अभिलिखित कारणों की प्रति देते हुए, मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त कर सकेगा, और उनको किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को उपचार और देखभाल के लिए हटा सकेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन मत्स्य टैंक पशुओं के उपचार और देखभाल के उपगत व्यय मत्स्य दुकान स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट मत्स्यालय मत्स्य टैंक पशु के पूरी तरह ठीक हो जाने और मत्स्यालय को उसके उपचार और देखभाल के लिए प्रदत्त व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के पश्चात् मत्स्य टैंक पशु को मत्स्य दुकान स्वामी को लौटाएगा।
 - (4) मत्स्य दुकान स्वामी को इस नियम के अधीन बीमार या अन्यथा कष्ट की अवस्था में मत्स्य टैंक पशु को हटाने की दशा में स्थानीय प्राधिकारी या राज्य बोर्ड या उपरोक्त मत्स्यालय से किसी प्रतिकर, चाहे जो भी हो, का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा।
 - (5) यदि कोई मत्स्य दुकान स्वामी रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना कोई मत्स्य दुकान चलाता हुआ पाया गया तो राज्य बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी से दुकान को सील करने की सिफारिश कर सकेगा और उसके कब्जे में मत्स्य टैंक पशु को जब्त करेगा तथा इस प्रकार जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु किसी रजिस्ट्रीकृत मत्स्यालय को सौंपे जाएंगे।
 - (6) यदि निरीक्षक द्वारा किसी मत्स्य दुकान के निरीक्षण के दौरान इन नियमों की अपेक्षाओं के किसी अन्य अतिक्रमण का पता चलता है तो राज्य बोर्ड नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को एक प्रति सहित मत्स्य दुकान स्वामी को एक नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए।
 - (7) राज्य बोर्ड यदि मत्स्य दुकान स्वामी के प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है या कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो तो रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और मत्स्य दुकान स्वामी को उसके कारण लिखत में संसूचित कर सकेगा।
 - (8) मत्स्य दुकान, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत किया गया है, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तब तक सील नहीं की जाएगी -
 - (क) जब तक नियम 32 में वर्णित ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध अपील करने की अवधि समाप्त न हुई हो; और
 - (ख) जहां अपील की गई है और लंबित है, वहां अपील की निपटान तक।
 - (9) जहां अपील अस्वीकृत की गई है, वहां राज्य बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी को दुकान सील करने की सिफारिश कर सकेगा और व्यापार के लिए प्रदर्शित या रखे गए मत्स्य टैंक पशुओं को जब्त कर सकेगा तथा जब्त किए गए मत्स्य टैंक पशु तत्पश्चात् उपनियम (5) में दी गई रीति में निपटाए जाएंगे।

27. स्थापन का निरीक्षण – (1) राज्य बोर्ड, या तो किसी शिकायत की प्राप्ति पर या किसी अन्य कारण से निरीक्षक के माध्यम से पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या सोसाइटी द्वारा किसी मत्स्य दुकान का निरीक्षण करवा सकेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत निरीक्षक को अपना प्राधिकार पेश करते हुए ---

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन हो रहा है, के लिए किसी युक्तियुक्त समय तक मत्स्य दुकान में प्रवेश करने और परिसर के भीतर सभी क्षेत्रों और सभी मत्स्य टैंक पशुओं तथा अभिलेखों तक पहुंच की शक्ति होगी;

(ख) तस्वीर लेने, विडियो रिकार्ड करने और अभिलेखों की प्रतियां बनाने की शक्ति होगी;

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मत्स्य दुकान का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार किया जाएगा।

(4) निरीक्षक राज्य बोर्ड को निरीक्षण की लिखत में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि राज्य बोर्ड, उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, की यह राय है कि मत्स्य दुकान स्वामी द्वारा इन नियमों की किन्हीं अपेक्षाओं का उल्लंघन किया गया है तो वह मत्स्य दुकान स्वामी को रिपोर्ट की प्रति और कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् मत्स्य दुकान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा तथा उसके कारण लिखत में संसूचित करेगा।

28. रजिस्ट्रीकृत मत्स्य दुकान के स्वामी की मृत्यु और परिसर के परिवर्तन का प्रभाव –

(1) यदि इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत दुकान के स्वामी की मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व होती है तो मत्स्य दुकान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण उस मत्स्य दुकान के संबंध में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रदान किया गया समझा जाएगा और स्वामी की मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति न होने तक विधिमान्य रहेगा।

(2) मत्स्य दुकान के परिसर के परिवर्तन की दशा में मत्स्य दुकान स्वामी उस दुकान में जाने से पूर्व परिवर्तन के विषय में राज्य बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए संसूचित करेगा।

भाग 4

मत्स्यालयों और मत्स्य दुकानों के लिए साधारण उपबंध

29. मत्स्य टैंक पशु आश्रय और प्रदर्शन – (1) कोई मत्स्य टैंक पशु ऐसे मत्स्य टैंक में रखे, आश्रित या प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे जो इन नियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में नहीं है।

(2) मत्स्य टैंकों के डिजाइन और आयाम, मत्स्यों की संख्या और प्रजातियां, जो मत्स्य टैंक में आश्रित की जा सकती हैं, अवधारित करेंगे और मत्स्य टैंक पशु मत्स्य टैंकों में बोर्ड द्वारा प्रकाशित निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आश्रित किए जाएंगे।

(3) मत्स्यालय और मत्स्य दुकान सुनिश्चित करेगी कि मत्स्य टैंक, मत्स्य टैंक पशुओं, केयरटेकरों और आगंतुकों के लिए सुरक्षित और संरक्षित है।

(4) कोई मत्स्यालय या मत्स्य दुकान मत्स्य टैंक पशुओं की दो या अधिक प्रजातियों को, जो एक दूसरे के संगत नहीं है, इकट्ठे आश्रित नहीं करेंगे।

(5) एक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान उस मत्स्य टैंक में आश्रित मत्स्य की प्रजातियों की निर्दिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण का मिलान करने के लिए मत्स्य टैंकों में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास करेंगे।

(6) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान सुनिश्चित करेंगे कि मत्स्य टैंकों में पानी की क्वालिटी हर समय बनाई रखी जाए और विहित खारेपन, पीएच, कठोरता और तापमान अनुज्ञात रेंज के भीतर है ताकि मत्स्य टैंक पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(7) कोई मत्स्यालय या मत्स्य दुकान –

(क) मत्स्य टैंक पशुओं को रखने के लिए कटोरे प्रदर्शित या विक्रीत नहीं करेंगे; या

(ख) मत्स्य टैंक पशुओं को रखने के लिए 13 गैलन या 60 लीटर पानी से कम क्षमता वाले टैंक प्रदर्शित या विक्रीत नहीं करेंगे

(8) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षा वाले सभी मत्स्य टैंक पशुओं के लिए मत्स्य टैंकों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रकाशित निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, अर्थात् :-

(क) ताजा जल मत्स्य के लिए, कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच या 2.54 सेंटीमीटर के लिए टैंकों में कम से कम एक गैलन या 4.55 लीटर जल अवश्य होना चाहिए, आयतन टैंक में पानी की मात्रा को निर्दिष्ट करता है और इसके अंतर्गत चट्टानों, आभूषणों या वायु जो टैंक में आयतन का रूप ले सकते हैं, के आयतन नहीं हैं;

(ख) समुद्री मत्स्य के लिए, पहले चार मास के दौरान कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच या 2.54 सेंटीमीटर के लिए टैंकों में कम से कम चार गैलन या 18 लीटर जल अवश्य होना चाहिए और तत्पश्चात् कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच या 2.54 सेंटीमीटर के लिए कम से कम दो गैलन या 9 लीटर जल अवश्य होना चाहिए, तत्पश्चात् जिसका आयतन टैंक में जल की मात्रा को निर्दिष्ट करता है और उसके अंतर्गत चट्टानों, आभूषणों या वायु जो टैंक में आयतन का रूप ले सकते हैं, के आयतन नहीं हैं;

(ग) प्रत्येक टैंक का जल धरातल क्षेत्र कम से कम -

(i) ऊष्ण कटिबंधी ताजा जल मछली की दशा में, कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच के लिए 12 वर्ग इंच या प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए 78 वर्ग सेंटीमीटर होगा ;

(ii) शीतल जल ताजा जल मछली की दशा में, कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच के लिए 30 वर्ग इंच या प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए 194 वर्ग सेंटीमीटर होगा ;

(iii) ऊष्ण कटिबंधी समुद्री मछली की दशा में, कुल मत्स्य लंबाई के प्रत्येक इंच के लिए 48 वर्ग इंच या प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए 310 वर्ग सेंटीमीटर होगा ;

(घ) जल आक्सीजनीकरण 80 प्रतिशत से अधिक रहना आवश्यक है और जब स्तर 80 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो आक्सीजनीकरण नियमित रूप से भंडारण सघनता कम करते हुए, जल आयतन को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करते हुए, वातन बढ़ाते हुए, या खराब ढंग से काम करने वाले हीटर, फिल्टर या वायु पत्थर को ठीक करते हुए मापा और समायोजित किया जाता है;

(ङ.) टैंक में लगभग 10 प्रतिशत जल सप्ताह में एक बार प्रतिस्थापित किया जाता है और जल की क्वालिटी को सुधारने के लिए जल आयतन का नियमित या आंशिक प्रतिस्थापन और जल संचलन उत्पन्न करने के लिए युक्तियों का उपयोग किया जाता है और मछलियों को उचित रूप से तैरने और सामान्य व्यवहार बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए जल प्रवाह समुचित है;

(च) लवणता और पीएच स्तर का कम से कम सप्ताह में एक बार और जल बदलने के बाद परीक्षण किया जाता है ।

(छ) नाइट्रेट स्तर का कम से कम सप्ताह में एक बार परीक्षण किया जाता है और अमोनिया और नाइट्रेट स्तरों का परीक्षण नए मत्स्य टैंक पशु टैंक में डालने के पश्चात् तीन दिनों तक प्रतिदिन तथा तत्पश्चात् प्रति सप्ताह किया जाता है ।

(ज) टैंकों को नियमित रूप से कम से कम महीने में एक बार और जब कभी टैंक अस्वच्छ होते हैं तो साफ और निर्वात किया जाता है ।

(झ) नवनिर्मित टैंक को मत्स्य टैंक पशुओं के लिए पानी भरने से पूर्व विलायकों को बाहर निकालने के लिए कंडीशनिंग और डीप्यूरेशन अवधि की आवश्यकता होती है;

(ञ) फिल्टरों की जांच सप्ताह में एक बार की जाती है तथा यथाआवश्यक सफाई और प्रतिस्थापन किया जाता है;

(ट) झाग वाला, गंदला, पीला और बदबूदार जल, सभी बदत्तर होने वाली दशाओं के संकेत हैं;

(ठ) उपयुक्त फिल्टरों का उपयोग किया जाता है;

(ड) टैंकों के आंतरिक तल बराबर, अवस्थित और सीलबंद हैं तथा प्रणाली जल के संपर्क में लकड़ी का उपयोग टैंक सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक संरक्षक सामग्री है जिसमें विषाक्त तत्व (विशेषकर प्लाईवुड में गोंद का दाबकृत उपचार) पाए जा सकते हैं, चूंकि यह सड़ सकता है और उसके लिए सील कारकों की आवश्यकता होती है जो विषाक्त हो सकते हैं तथा विनायल टैंक केवल अस्थायी धारणार्थ उपयुक्त होते हैं चूंकि प्लास्टीसाइजर विषाक्त हो सकता है तथा विनायल में प्रायः संदूषक पाए जाते हैं ;

(ढ) टैंक पर ढक्कन लगाए जाते हैं, जैसा कि टैंक जाली या ठोस ढक्कन जो मत्स्य टैंक पशु को टैंक से बाहर कूदने से रोकते हैं;

(ण) जल सतह और ढक्कन के बीच ऊचाई ऐसी हो जो मत्स्य टैंक पशु को, यदि वे कूदते हैं तो क्षति का जोखिम न्यूनतम हो और ढक्कन से मत्स्य टैंक पशु दिखने आवश्यक हैं, या तो ढक्कन पारदर्शी हों या हटाया जा सके या आंशिक रूप से हटाया जा सके;

(त) सभी गर्म जल मत्स्यालयों में मत्स्यालय हीटर और थर्मामीटर हों और सभी लवण-जल मत्स्यालयों में, मत्स्यालय में रोगजनकों की मुक्ततः - तैरने वाली संख्या को कम करने के लिए कोई पराबैंगनी निष्कीटक हों ;

(थ) विद्युत संघटक और उपस्कर स्पलैश जोन से बाहर अवस्थित हों, जब तक कि अवगाहन-क्षम होने के लिए सुरक्षित रूप से डिजाइन न किए गए हों तथा नमी-सह बाड़ों में आश्रित किए जाते हों तथा विद्युत फिक्सचरों में जल के रिसाव को रोकने के लिए गैसकेट लगाए जाते हैं, और पाइपलाइन से ऊपर अवस्थित किए जाते हैं;

(द) टैंक स्पोर्ट उचित प्रकार से डिजाइन किए हों तथा मजबूत और स्थायी रूप जिसका भार फर्शी ढांचे पर हों ताकि आपाती गिरने के खतरे को रोका जा सके;

(ध) टैंक में केवल पौधों की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग किया जाता है ;

(न) किसी भी टैंक में कोई ऐसी धातु या सामग्री नहीं हो जो संक्षारित हो सके या कोई पत्थर जो जल में रासायनिक परिवर्तन ला सके, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट या केलकेरियस रेत पत्थर जो जल को कठोर और क्षारीय बनाते हैं; और

(प) मत्स्य टैंक या मत्स्यालय निम्नलिखित स्थानों में नहीं रखे जाते हैं, अर्थात्:-

- (i) सीधी धूप में या रेडियेटर के निकट ;
- (ii) ऐसे स्थान में जहां हमेशा रोशनी हो, या जहां हमेशा अंधेरा हो;
- (iii) ऐसे स्थान में जहां वर्षा जल टैंक में गिर सकता है;
- (iv) अत्यधिक ठंडे या अत्यधिक गर्म स्थान में
- (v) ऐसे स्थान में जहां तापमान में उतार-चढ़ाव जैसे वातानुकूलन इकाइयों, वायु संचालन इकाइयों, खुले अग्नि-स्थलों, रसोइयों, खाना बनाने वाले क्षेत्रों, खिड़कियों, दरवाजों के निकट, चूंकि ये सभी टैंक में तापमान में भारी परिवर्तन ला सकते हैं;
- (vi) किसी ऐसे स्थान में जहां यातायात या लोगों की अधिक संख्या में आवाजाही से निरंतर कंपन्न होती हो ।

30. सुविधाएं -- (1) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान सुनिश्चित करेगी कि -

(क) आश्रय, सामाजिक समूहीकरण, ऊपरी कवर और रोशनी के संबंध में जलीय पर्यावरण का डिजाइन मत्स्य टैंक पशुओं की स्थापित भौतिक और व्यवहार्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है;

(ख) शोर और कंपन्न करने वाली मशीनरी मत्स्य टैंक पशुओं को आश्रित करने वाले क्षेत्रों से अलग रखा जाता है;

(ग) प्रजातियों के लिए रोशनी समुचित हो और धीरे-धीरे मंदकर के साथ चालू और बंद की जाती है तथा रात्रि के समय बंद की जाती है; और उदीप्त रोशनी गर्मी प्रदान करती हो तथा इसलिए 12 घंटे बंद की अनुसूची पर हों;

(घ) आपातकालीन आकस्मिकता क्षमता हो, जो हवादार और फिल्टर जल को बनाए रखने में सक्षम हो और जीवन सक्षम की निरंतरता को आश्वस्त करते हुए तथा आधारभूत अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है;

(ड.) उसके पास प्रणाली के भीतर उपयुक्त क्वालिटी की पर्याप्त जल आपूर्ति और पर्याप्त फिल्टरेशन है ताकि लंबित ठोस पदार्थों और अपशिष्टों को हटाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रजाति-विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए स्वीकार्य स्तरों के भीतर जल क्वालिटी पैरामीटर का स्तर बनाए रखा जा सके;

(च) जल आपूर्ति में संदूषकों से मछलियों को संरक्षित करने के लिए उपाय जैसे कि रिवर्स ओसमोसिस प्रणाली की कार्बन फिल्टरिंग प्रणाली, सक्रिय चारकोल (वृहत आयतन प्रणालियों के लिए) और सोडियम थियोसल्फेट (लघुत्तर प्रणालियों के लिए) उपचारों का उपयोग किया जाता है;

(छ) यदि जल के खुले निकाय या किसी नगरपालिका स्रोत से ताजा या समुद्री जल निकाला जाता है तो उसका परीक्षण किया जाता है और संदूषकों रोगजनकों को हटाने के लिए उपचार किया जाता है;

(ज) जल क्वालिटी पैरामीटरों (आयोन्स, पीएच, धातु इत्यादि) का व्यापक विश्लेषण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और वार्षिक आधार पर परीक्षण किया जाता है;

(झ) यदि सुविधा में कुंए के पानी का उपयोग किया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपूर्ति पर्याप्त और विश्वसनीय है तथा जल आक्सीजन रहित नहीं है या उसमें धातु आयन्स, कार्बन डाइआक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया और अन्य गैसों के उच्च स्तर हैं या अत्यधिक उच्च या निम्न क्षारयता है, के लिए दाग बूंद परीक्षा किया जाता है;

(ञ) टैंकों को और से जलापूर्ति और नाली की लाइनें विघटन से संरक्षित, सुरक्षित हों तथा वायु-बंध, गंदे होने से बचाव के लिए कठोर, स्थायी रूप से स्थिर पाइपों से बनी हो और साधारण, निम्न प्रौद्योगिकी पद्धतियों द्वारा सफाई को सुकर बनाने के लिए प्रमुख रूप से लेबलीकृत और डिजाइन किए गए हों;

(ट) लाइनों की दशा और पंपों और फिल्टरों के कार्य को मॉनीटर करने के लिए प्रणाली के समग्र बिंदुओं पर प्रेशर गेज और फ्लो मीटर प्रतिस्थापित किए जाते हैं;

(ठ) पॉलीविनायल क्लोराइड और अन्य सामग्रियां मानव के पेयजल मानकों को पूरा करते हैं और ऐसीटोन, मिथाइलथाइलकैटोन्स और टैट्राहाइड्रोफ्यूरांस, जो ग्लूइंस के पश्चात् निकलते हैं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से साफ किए जाते हैं;

(ड) मुख्य नालियां बड़े आकार की होती हैं जो पानी के अधिक बहाव को नियंत्रित करती हैं तथा गटर्स ढके होते हैं जिनके फर्श साफ किए जाते हैं और जिनमें से पानी तेजी से बह सकता है;

(ढ) नालियां और गटर सामान्य प्रवाह के अंतर्गत स्वतः सफाई करने के लिए और लाइनों में जमा हुए अपशिष्टों के हटाने के लिए क्लीनिंग पिग के उपयोग को अनुज्ञात करने के लिए डिजाइन किया जाता है और जहां व्यवहार्य हो, सभी टैंकों की नालियों में जालियां फिट की जाती है और क्लीन-आउट पोर्ट तक सुगमतापूर्वक पहुंच हो;

(ण) यदि सुविधा से बहिस्त्राव अनुपचारित है, तो उसे ऐसे स्थान में गिराया जाता है जो आंतरिक प्रणाली से दूर हो, ताकि प्रणाली में बहिस्त्राव के पुनःपरिचालन की संभावना को न्यूनतम किया जा सके और उस स्थान का जहां बहिस्त्राव गिराए गए हों का जल निकाय में वन्य जलीय जीवों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो;

(त) यदि बहिस्त्राव को नगरपालिका सीवर में गिराया जाता है तो यह आवश्यक है कि बहिस्त्राव को सीवर में डालने से पूर्व बहिस्त्रावों में संभाव्य हानिकर सामग्रियों, जैसे रोगाणुनाशी अविषैले सांद्रताओं के रूप में पानी मिलाकर पतले किए जाएं;

(थ) प्रणाली को गैस प्रदान करने वाले सभी कंप्रेशरों में नमी और तेल ट्रेप हटाने के लिए युक्तियां लगी हों ताकि तेल रिसाव को मत्स्य टैंकों में प्रवेश होने से रोका जा सके और जहां तक संभव हो खाद्य गृह स्नेहकों का उपयोग किया जाए तथा कंप्रेशर के इनटेक मार्ग में अवस्थित हों जो केवल साफ वायु का उपयोग अनुज्ञात करे, जो इंजन एक्जॉस्ट, तंबाकू धुंए या अन्य वायुजनित संदूषकों से मुक्त हों;

(द) नए मत्स्य टैंक पशुओं को पृथक रखने के लिए समर्पित पृथक करंतीन क्षेत्र और पैर और हाथ साफ करने के केंद्र होते हैं, जिनमें आधारभूत स्वच्छता उपाय होंगे ताकि जलीय पशु रोगों को पनपने और फैलने से रोका जा सके;

(ध) सुविधाएं के निर्माण में उपयोग में लाए जाने वाली सभी सामग्रियां जिसके अंतर्गत रोगन, फाइबर ग्लास, धरातल, इंसुलेटिंग सामग्रियां, एरोसोल्स, एयरड्रकट और काष्ठ परिरक्षक हैं, अविषाक्त और क्षय और जल-क्षति सह है तथा पाइपों, फिटिंगों और वाल्वों में तांबा, निकल, पीतल, जस्ता या कलई करने वाले उपचार अंतर्विष्ट नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारी धातुओं में विषाक्त संकेद्रण हो सकता है;

(न) यदि कोई संभाव्य विषाक्त सामग्री विनिर्माण, जिसके अंतर्गत ऐसी सामग्री जो आयोन्स, रासायनिक या क्षय-उत्पाद उनके तलों से निर्मुक्त कर सकते हैं, तो राज्य बोर्ड से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाता है;

(प) विनिर्माण में प्रयुक्त सभी धातु या कंक्रीट सील की जाती है या अक्रिय की जाती है और यदि सिलिकोन सीलेंट का उपयोग किया जाता है तो उसे मत्स्यालयों में उपयोग हेतु उपयुक्त लेबल किया जाता है तथा उसे किसी परिवर्तनशील विषाक्तों को निर्मुक्त करने के लिए उपचार हेतु अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

31. रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल – (1) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान अपने संग्रहण में सभी मत्स्य टैंक पशुओं को ऐसे संघटकों और ऐसी मात्रा में क्वालिटी खाद्य की समय पर आपूर्ति करेंगे ताकि प्रत्येक मत्स्य टैंक पशु की पौष्टिक और व्यवहारिक अपेक्षा पूरी हो तथा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएं जिससे कि किसी मत्स्य टैंक पशु को अर्द्ध पौष्टिक खाद्य न मिले।

(2) प्रत्येक मत्स्यालय ऑपरेटर और मत्स्य दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि बची हुई खाद्य सामग्री, मत्स्य टैंक पशुओं का मलमूत्र और सभी अन्य अपशिष्ट मत्स्य टैंकों से शीघ्र हटाए जाएं।

(3) मत्स्य विशेषज्ञ और मत्स्य टैंक पशु नियंत्रक, मत्स्य टैंक पशुओं के सामान्य व्यवहार और स्वास्थ्य पैरामीटरों पर ध्यान देंगे तथा मत्स्य टैंक पशु ऐसे व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे जिनके पास अलग-अलग मत्स्य टैंक पशु को नियंत्रित करने का अनुभव और प्रशिक्षण हो।

(4) कोई मत्स्य टैंक पशु जो मंदता, भूख की कमी, जखम, या कोई असामान्य व्यवहार दर्शाता हो तो उसका पूरी तरह मूल्यांकन किया जाएगा और तत्काल चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान मत्स्य टैंक पशुओं के स्वास्थ्य स्तर का अभिलेख रखेंगे जिसके अंतर्गत खाद्यान्न ग्रहण, चिकित्सा और उपचार है।

(6) प्रत्येक मत्स्य टैंक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात् :-

(ग) किसी टैंक की लंबाई टैंक में सबसे लंबी मछली की लंबाई, पूर्ण वयस्क की लंबाई परिकलित करते हुए, के पांच गुणा से अन्यून नहीं होगी ;

(घ) टैंक जल आयतन 13 गैलन या 60 लीटर से कम नहीं होगा।

(7) प्रत्येक मत्स्यालय और मत्स्य दुकान बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के मानकों का अनुपालन करेंगे।

32. अपील – (1) राज्य बोर्ड के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई मत्स्यालय या मत्स्य दुकान विनिश्चय की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर को अपील कर सकेगी।

(2) सचिव, पशुपालन विभाग मत्स्यालय या मत्स्य दुकान और राज्य बोर्ड को नोटिस देने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए कारणों को अभिलिखित करते हुए और मत्स्यालय या मत्स्य दुकान और राज्य बोर्ड को संसूचित करते हुए या तो अपील को अस्वीकार करेगा या स्वीकार करेगा।

पहली अनुसूची
(नियम 2(ज) देखें)

प्ररूप।

(नियम 9(1) देखें)

मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

.....(राज्य)

.....(नगर)

विषय: मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम.....निवासी.....कार्यालय

पता.....नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मत्स्य टैंक पशुओं को प्रदर्शित करने के लिए रखने हेतु मत्स्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं :

1. मत्स्यालय की सुविधा का नाम और पता.
2. मत्स्यालय ऑपरेटर(रों) का नाम और पता.
3. दूरभाष सं.....
4. प्रस्तावित मत्स्यालय पर उपलब्ध आवास और अवसंरचना के ब्यौरे
5. स्टाफ/कर्मचारियों की संख्या
6. कार्य घंटे और विश्राम दिवस अर्थात् जिस दिन सुविधा बंद रहेगी :
7. प्रवेश फीस या यदि प्रवेश निःशुल्क है :
8. वायु संचार व्यवस्था :
9. रोशनी व्यवस्था
10. ताप या प्रशीतन व्यवस्था, और ऐसी रीति जिसमें सभी मत्स्य टैंक पशुओं के लिए सुखद तापमान बनाए रखा जा सके
11. खाद्य भंडारों हेतु व्यवस्था
12. सफाई, किस प्रकार बनाए रखना प्रस्तावित है, और मत्स्य टैंक पशुओं के मलमूत्र और अपशिष्ट को हटाने की व्यवस्था
13. मत्स्य टैंक पशु जिनकी मृत्यु हो जाती है, के निपटान की व्यवस्था
14. चिकित्सा सहायता की व्यवस्था
15. मत्स्यालय में प्रदर्शित या आश्रित किए जाने के लिए प्रस्तावित मत्स्य टैंक पशुओं के ब्यौरे

मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजातियां:

मत्स्य टैंक पशु की प्रत्येक प्रजाति की संख्या :

मत्स्य टैंकों की संख्या और आकार:

16. फीस के संदाय हेतु चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की संख्या और व्यौरे :
- इसके साथ संलग्न दस्तावेज :
- मत्स्यालय सुविधा का ब्लू प्रिंट : हां/नहीं
- संग्रहण योजना हां/नहीं
- अनापत्ति प्रमाणपत्र (स्थानीय मत्स्य विभाग) हां/नहीं
- अनापत्ति प्रमाणपत्र (राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण)
हां/नहीं

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

प्ररूप II

(नियम 12(1) देखें)

मत्स्यालय के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

.....(राज्य)

.....(नगर)

विषय: मत्स्यालय का रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम.....निवासी.....कार्यालय

पता.....नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मत्स्य टैंक पशुओं को प्रदर्शित करने के लिए रखने हेतु मत्स्यालय की रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं :

- 1) मत्स्यालय की सुविधा का नाम और पता.
- 2) मत्स्यालय ऑपरेटर(रों) का नाम और पता.
- 3) दूरभाष सं.....
- 4) प्रस्तावित मत्स्यालय पर उपलब्ध आवास और अवसंरचना के व्यौरें
- 5) कार्य घंटे और विश्राम दिवस अर्थात् जिस दिन मत्स्यालय बंद रहेगा :
- 6) कर्मचारियों की संख्या और नाम
- 7) प्रवेश फीस या यदि प्रवेश निःशुल्क है :
- 8) वायु संचार व्यवस्था :
- 9) रोशनी व्यवस्था
- 10) ताप या प्रशीतन व्यवस्था, और ऐसी रीति जिसमें सभी मत्स्य टैंक पशुओं के लिए सुखद तापमान बनाए रखा जा सके
- 11) खाद्य भंडारों हेतु व्यवस्था

- 12) सफाई, किस प्रकार बनाए रखना प्रस्तावित है, और मत्स्य टैंक पशुओं के मलमूत्र और अपशिष्ट को हटाने की व्यवस्था
- 13) मत्स्य टैंक पशु जिनकी मृत्यु हो जाती है, के निपटान की व्यवस्था
- 14) चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था
- 15) मत्स्यालय में प्रदर्शित या आश्रित किए जाने के लिए प्रस्तावित मत्स्य टैंक पशुओं के ब्यौरे
- मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजातियां:
- मत्स्य टैंक पशु की प्रत्येक प्रजाति की संख्या :
- मत्स्य टैंकों की संख्या और आकार:
- 16) ब्यौरे :
- मत्स्य टैंक पशुओं की प्रत्येक प्रजाति में मृत्यु :
- मृत्यु का कारण प्रजाति-वार :
- पिछले वर्ष में अर्जित अतिरिक्त प्रजातियां :
- मत्स्य टैंकों का अतिरिक्त विनिर्माण/प्रतिष्ठापन और/या सुविधा का विस्तारण (ब्लू प्रिंट संलग्न करें)
- 17) फीस के संदाय हेतु चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की संख्या और ब्यौरे :
- इसके साथ संलग्न दस्तावेज :

मत्स्यालय सुविधा का ब्लू प्रिंट :	हां/नहीं
संग्रहण योजना	हां/नहीं
खाद्यान्न रजिस्टर	हां/नहीं
उपचार रजिस्टर	हां/नहीं
मान्यता के पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र की प्रति	हां/नहीं
अनापत्ति प्रमाणपत्र (स्थानीय मत्स्य विभाग)	हां/नहीं
अनापत्ति प्रमाणपत्र (राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण)	हां/नहीं

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्ररूप III

(नियम 20(3) और 23 देखें)

मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

.....(राज्य)

.....(नगर)

विषय: मत्स्य टैंक पशुओं में व्यापार के लिए मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
महोदय,

मैं/हम.....निवासी.....कार्यालय
पता.....नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए
आवेदन करता हूँ/करते हैं :

1. मत्स्य दुकान का नाम और पता.
2. दूरभाष सं.....
3. प्रस्तावित मत्स्य दुकान पर उपलब्ध आवास और अवसंरचना के ब्यौरे
4. कार्य घंटे और विश्राम दिवस अर्थात् जिस दिन मत्स्य दुकान बंद रहेगी :
5. वायु संचार व्यवस्था :
6. रोशनी व्यवस्था
7. ताप या प्रशीतन व्यवस्था, और ऐसी रीति जिसमें सभी मत्स्य टैंक पशुओं के लिए सुखद तापमान बनाए रखा जा सके
8. खाद्य भंडारों हेतु व्यवस्था
9. सफाई, किस प्रकार बनाए रखना प्रस्तावित है, और मत्स्य टैंक पशुओं के मलमूत्र और अपशिष्ट को हटाने की व्यवस्था
10. मत्स्य टैंक पशु जिनकी मृत्यु हो जाती है, के निपटान की व्यवस्था
11. चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था
12. मत्स्य दुकान में विक्रीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मत्स्य टैंक पशुओं के ब्यौरे
 - क. मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजातियां और नस्लें :
 - ख. मत्स्य टैंक पशु की प्रत्येक प्रजाति और नस्ल की संख्या :
 - ग. मत्स्य टैंकों के आवास, संख्या और आकार:
13. फीस के संदाय हेतु चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की संख्या और ब्यौरे :
14. ब्यौरे :
 - (i) मत्स्य टैंक पशुओं की प्रत्येक प्रजाति में मृत्यु :
 - (ii) मृत्यु का कारण प्रजाति-वार :
 - (iii) पिछले वर्ष में अर्जित अतिरिक्त प्रजातियां :

(iv) मत्स्य टैंकों का अतिरिक्त विनिर्माण/प्रतिष्ठापन और/या सुविधा का विस्तारण (ब्लू प्रिंट संलग्न करें)

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।

इसके साथ संलग्न दस्तावेज :

अनापत्ति प्रमाणपत्र (स्थानीय प्राधिकारी)

हां/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्ररूप IV

(नियम 21 देखें)

मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड

.....(राज्य)

.....(नगर)

विषय: मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम.....निवासी.....कार्यालय पता.....नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मत्स्य दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो इसके साथ संलग्न हैं, मत्स्य टैंक पशुओं के विक्रय हेतु मत्स्य दुकान चलाने को जारी रखने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं :

1. मत्स्य दुकान का नाम और पता.
2. दूरभाष सं.....
3. नवीकरण के लिए मूल आवेदन के विरुद्ध कोई परिवर्तन :
4. विक्रय के लिए सुविधा में आश्रित मत्स्य टैंक पशुओं के ब्यौरे :
 - क. मत्स्य टैंक पशुओं की प्रजातियां और नस्लें :
 - ख. मत्स्य टैंक पशु की प्रत्येक प्रजाति और नस्ल की संख्या :
 - ग. मत्स्य टैंकों के आवास, संख्या और आकार:
5. ब्यौरे :
 - (i) मत्स्य टैंक पशुओं की प्रत्येक प्रजाति में मृत्यु :
 - (ii) मृत्यु का कारण प्रजाति-वार :
 - (iii) पिछले वर्ष में अर्जित अतिरिक्त प्रजातियां :
 - (iv) मत्स्य टैंकों का अतिरिक्त विनिर्माण/प्रतिष्ठापन और/या सुविधा का विस्तारण (ब्लू प्रिंट संलग्न करें)

6 फीस के संदाय हेतु चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की संख्या और ब्यौरे :

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।

इसके साथ संलग्न दस्तावेज :

अनापत्ति प्रमाणपत्र (स्थानीय प्राधिकारी)

हां/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

दूसरी अनुसूची

[दिखें नियम 4(2)(ख) और 8(2)(ख)]

निम्नलिखित प्रजातियों को रखना और बेचना प्रतिषिद्ध है, अर्थात् :-

सामान्य नाम

वैज्ञानिक नाम

कैटाशियन :

कैटाशियन की सभी प्रजातियां

पेंगुइन :

पेंगुइन की सभी प्रजातियां

उद्विलाव :

उद्विलाव की सभी प्रजातियां

जलगाय :

जलगाय की सभी प्रजातियां

समुद्री/मेरीन कछुआ :

समुद्री/मेरीन कछुआ की सभी प्रजातियां

बटरफ्लाइ फिश

कॉपरबैंड बटरफ्लाइ

सेलमॉन रोस्ट्राटस

मर्जिनेलिस बटरफ्लाइ

सेलमॉन मार्जिनेलीस

लार्वा बटरफ्लाइ

कैटाडॉन लार्वाटस

शैडल बटरफ्लाइ

कैटाडॉन हिपीयम

मेयर्स बटरफ्लाइ

कैटाडॉन माइरी

पार्लस्केल बटरफ्लाइ

कैटाडॉन एक्साथ्रस

मर्टेसिल बटरफ्लाइ

कैटाडॉन मार्टेसिल

फालकूला बटरफ्लाइ

कैटाडॉन फॉलकुला

ब्लैक बैक बटरफ्लाइ

कैटाडॉन मेलांटस

ब्लू स्पॉट बटरफ्लाइ

कैटाडॉन प्लेबियस

ब्लू स्ट्रिप बटरफ्लाई	कैटाडॉन फ्रेमबली
बर्गोसी बटरफ्लाई	कैटाडॉन बर्गोसी
डॉट-डैश बटरफ्लाई	कैटाडॉन पनटैटोफेसिएटस
डबल शैडली	कैटाडॉन यूलीटेनसिस
फैलीशिफर बटरफ्लाई	कैटाडॉन फैलीसिफर
फोरआई बटरफ्लाई	कैटाडॉन कैपीस्ट्रेटस
फोरस्पोट बटरफ्लाई	कैटाडॉन क्वाडरीमेकुलेटस्
कोरेडियन बटरफ्लाई	कार्डियन एल्टीवलिस
गोल्डनस्ट्राइप बटरफ्लाई	कैटाडॉन ऐरोफेसिएटस
गुंथर्स बटरफ्लाई	कैटाडॉन गुवेनथेरी
लैटिटूस्ड बटरफ्लाई	कैटाडॉन रेफलेसी
लाइंड बटरफ्लाई	कैटाडॉन लिनियोलेट्स
मेलोन बटरफ्लाई	कैटाडॉन ट्रिफेसिएटस
मिट्रासस बटरफ्लाई	कैटाडॉन मित्रांटस
मुलेरी बटरफ्लाई	सेल्मन मुलेरी
ओसिलेटेड बटरफ्लाई	पैरासेटडॉनओसीलेटस
ऑर्नेट बटरफ्लाई	कैटाडॉन ऑर्नेटिशिमस
पेंटर रीफ बटरफ्लाई	कैटाडॉन सीडेरेरियस
पाकिस्तान बटरफ्लाई	कैटाडॉन कोलारे
पौसिफेसिएटस	कैटाडॉन पौसिफेसियटस
रैकून बटरफ्लाई	कैटाडॉन लूनुला
रैनफोर्डि बटरफ्लाई	कैटाडॉन रैनफोर्डि
रेटिकुलेटेड बटरफ्लाई	कैटाडॉन रेटिकुलेट्स
सेमियन बटरफ्लाई	कैटाडॉन सेमियन
स्पेकुलम बटरफ्लाई	कैटाडॉन स्पेकुलम
स्पॉट-फिन बटरफ्लाई	कैटाडॉन ओसेलेट्स
स्पॉर्ट-टेल बटरफ्लाई	कैटाडॉन ओसिलीकेड्स
स्पॉटेड बटरफ्लाई	कैटाडॉन गटेटीसिमस
टियरड्रॉप बटरफ्लाई	कैटाडॉन यूनीमेकुलेट्स
ट्रायंगल बटरफ्लाई	कैटाडॉन बारोनेसा
ट्रेंकेट्स बटरफ्लाई	कैटाडॉन ट्रेंकेट्स
येलोहेड बटरफ्लाई	कैटाडॉन एंथोसेफेलस
येलोनोज बटरफ्लाई	कैटाडॉन फ्लेवीरोस्ट्रस

मुरीश आईडोल	जैनक्लस कैनीसेंस
ब्रांडेड बटरफ्लाई फिश	कैटाडॉन स्ट्रेट्स
अटलांटिक लॉग-नोज्ड बटरफ्लाई फिश	कैटाडॉन एकूलेट्स
एंजेल फिश :	
हेराल्डी एंजेल	सेंट्रोपीज हेराल्डी
फ्लेम एंजेल	सेंट्रोपीज लोरिकुलस
लेमोनपील एंजेल	सेंट्रोपीज फ्लेविशिमस
बाइकलर एंजेल	सेंट्रोपीज बाँयकलर
मल्टी-कलर एंजेल फिश	सेंट्रोपीज मल्टीकलर
गोल्डन एंजेल फिश	सेंट्रोपीज औरांटिया
शेपार्डी एंजेल	सेंट्रोपीज शेपार्डी
पाशर एंजेल	होलोकैथस पाशर
रोक ब्यूटी एंजेल	होलोकैथस ट्राईकलर
क्लेरियोन एंजेल	होलोकैथस क्लेरिंसिस
कॉन्सपीकुलेट्स एंजेल	कैटोफैंटोप्लस
कॉन्सपीकुलेट्स	एपॉलीमेकेथस
गोल्डफ्लैक एंजेलफिश	एक्सैथोपैक्टेस
फ्लैगफिन एंजेल	एपॉलीमेकेथस ट्राइमेकुलेट्स
रीगल एंजेल फिश	प्योगप्लाइटस डाइकेन्थस
एम्परर एंजेलफिश	पोमाकैथस इम्परेटर

फाइलफिश तथा ट्रिगर्स

ओरेंज-स्पोर्ट-फाइलफिश	ऑक्सीनोनाकेन्थस लॉंगिरोस्ट्रीस
अंडूलेट ट्रिगरफिश	बालीस्टेपस अंडूलेट
क्वीन ट्रिगरफिश	बैलीट्स वेटूला
क्लाउनफिश, डैमशेल्स	क्रोमिस, स्यूडोक्रोमिस
रेड शेडल क्लाउनफिश	एंफीप्रियोन एंफीपियम
लेटजोनेटस क्लाउनफिश	एंफीप्रियोन लेटजोनेटस
व्हाईट कैप क्लाउनफिश	एंफीप्रियोन ल्युक्रोन्स
मेरून क्लाउनफिश	प्रीमंस बाइकुलेटस
ज्वेल डैमशेल	माइक्रोस्पेथोडन क्राइसेरस
नियॉन वैलवेट डैमशेल	पैरागलीफीयोडोडॉन ऑक्सोडन
गैरीबाल्डी डैमशेलफिश	हिपसीपोपस रेवीकुंडस

बैटफिश:

पिनाटस बैटफिश	प्लेटैक्स पिनाटस
टियेरा बैटफिश	प्लेटैक्स टियेरा

ऐल्स :

रिब्वन ऐल्स	राईनोमुरैना क्वेसिटा
घोस्ट रिब्वन ऐल	यूरोटेरजियस कनकलर
बैन्डेड स्नेक ऐल	मेरीकैथस कोलूब्रीनस
लेपर्ड स्नेक ऐल	मेरीकैथस मैकुलस

अन्य सभी तथाकथित स्नेक ऐल:

गार्डन ऐल	टेनीकौगर हासी
-----------	---------------

रेसेस :

क्रिसमस रेसेस	हैलोकोयेरस प्रजातियां
एनामप्सेस रेसेस	एनामप्सेस प्रजातियां
लैपर्ड रेसेस	मैक्रोफायरांगडन मेलेगरीज

सभी अन्य मैक्रोफायरांगडन रेसेस:

ओरेंज लाइन रेसन	स्टेथोज्यूसीस बलटीटा
मोस्ट पेंसिल रेसेस	होलोजीनामस प्रजातियां
लेबूट फेयरी रेसेस	सिरहीलेबरस लेबाउटी
ऑल क्लीनर (लेबराइड्स तथा अन्य प्रजातियां) रेसेस	
फाल्स क्लीनर रेसेस	ऐस्पीडेंटस टैनीएट्स
लूनर रेसेस	हैलासोमा लूनर

ब्लेनिस, ड्रैगोनिटिस तथा गोबीज

मेंड्रियन ड्रैगोनेटी	सिंचीरोपस पिकटूरेटस
स्कूटर ड्रैगोनिटी	सिंचीरोपस प्रजातियां

पैरोट फिश:

पैरोट फिश	स्कारस प्रजातियां
पैरोट फिश	सेटोसकारस प्रजातियां
पैरोट फिश	सिरहीलेबरस प्रजातियां

ऐन्थियाएस (फेयरी नास्सलेट) :

क्रीओल ऐन्थियस	पेरान्थियास प्रजातियां
ब्लू डायमंड ऐन्थियस	
हवाईन ऐन्थियस	मिरोयब्रीकैथीस बाईकलर
परपल क्वीन ऐन्थियस	मिरोयब्रीकैथीस टुका

क्वीन टाइगर ऐन्थियस
मादा स्क्वायर बैक

मिरोयब्रीकैथीस इमेलडी
सियूडेंथिस प्लीयूरेटेनिया

बेस्सलेट्स, ग्रूपर्स, ग्रंट्स (स्वीटलिप्स) :

क्लाउन स्वीटलिप्स
मेकलर निगर ग्रंट
ऑरियंटल स्वीटलिप्स
स्ट्रिप्ड स्वीटलिप्स

प्लेक्टोरहीनकस चटोनोयडस
मेकलर नाइगर
प्लेक्टोरहीनकस लीनियटस
प्लेक्टोरहीनकस डायग्राम्मस

टेन्स :

अचील्लस टेंग
पावडर ब्लू टेंग
पावडर ब्लू टेंग
क्लाउन टेंग
शेवरोन टेंग
शोल टेंग

एकेन्थरस अचील्लेस
एकेन्थरस ट्यूकोसटरनोन
एकेन्थरस जपोनीकस
एकेन्थरस लीनियाटस
क्टेनोकायटस हवाईयंसिस
एकेन्थरस शोल

लॉयनफिश, ऍंगलर्स और स्कॉरपियनफिश

फू मंचू लायनफिश
जेब्रा डार्फ लायनफिश
बोलिटन (पीकाँक) लॉयन
एंटेनेन्टा लॉयनफिश
रेडिण्ट लॉयनफिश
फुजी डार्फ लॉयनफिश
सेफेक्स लॉयनफिश
माइल्स लॉयनफिश
स्टोनफिश
स्कलपिन्स
लीफफिश
राइनो स्कॉरपियनोप्सीस
एंग्लर फिश
श्रेडफिन एंग्लरफिश
सी गोब्लीन्स

डेंड्रोचीरस बायोसेलस
डेंड्रोचीरस जेब्रा
पेट्रुयस बोलिटन
पेट्रुयस एंटेनेन्टा
पेट्रुयस रेडिण्ट
डेंड्रोचीरस ब्राक्रिप्टरस
पेट्रुयस सेफेक्स
पेट्रुयस माइल्स
साइनेसिया स्पाइसिस
स्कॉरपियनोप्सीस स्पाइसिस
टेनिनेटस ट्राइकैथस
राइनो रीनोपियस फ्रोनडोसा
एंटेनारियस प्रजातियां
नेमानथियस कारबेरी
प्रीनोटस कारलोनियस

सीहॉर्सेस तथा पाइपफिश :

सीहॉर्सेस	हिप्पोकैम्पस प्रजातियां
सी ड्रेगन	हाइकोडोरस इक्वीज
सी ड्रेगन	हाइलोटेरिकस टेनियोलोटस
पाइपफिश	कोरिथोइकीथ प्रजातियां
पाइपफिश	डोरीहैम्फस प्रजातियां
पाइपफिश	सिग्नेथोडाइस प्रजातियां
ट्रम्पफिश प्रजातियां	अलोस्टमस प्रजातियां

शार्क, स्कैटस तथा रेयज :

सभी शार्क, स्कैटस रेयज तथा साँ फिश	कौनड्रीथाइस
रेमोरा	इचेइस नॉनक्रैटस

बॉक्सफिश तथा काउफिश (ट्रंकफिश) :

ब्लू बॉक्सफिश	ओस्ट्रक्शन मेलेग्रीस (नर)
ब्लू बॉक्सफिश	ओस्ट्रक्शन मेलेग्रीस (मादा)
स्क्राइबल बॉक्सफिश	ओस्ट्रक्शन सोलोरानेसिस (नर)
स्क्राइबल बॉक्सफिश	ओस्ट्रक्शन सोलोरानेसिस (मादा)

मछली की अन्य प्रजातियां :

श्रीम्प (रेजर) फिश	सियोलीकुरस स्ट्राइगेटस
पाइंकोन फिश	क्लिडोप्स ग्लोरीमैरिस
पाइंकोन फिश	क्लिडोप्स जेपौनीकस
फ्लैशलाइट फिश	फोटोब्लेफेरन पाल्परब्राटो
बाराकुडा	फेरेनाबाराकुडा

सेफालोपोडस :

सभी ऑक्टोपस प्रजातियां	ऑक्टोपस प्रजातियां
ब्लू-रिंग ऑक्टोपस	हपालोचलेना लूनूलाटा
सभी स्क्रिड प्रजातियां	लोलिगो तथा सेफियोतेथिस प्रजातियां
सभी कट्टलफिश प्रजातियां	सेपिया तथा सेपियोलोआइडिया प्रजातियां
सभी न्यूटिलस प्रजातियां	न्यूटिलस तथा एरगोनोटा प्रजातियां

अन्य प्रजातियां :

फ्लावर सी उरचिन
भारतीय कोन घोंघा
मेंटिस झींगा
जेलीफिश

[फा. सं. 1/1/2010-एडब्ल्यूडी (भाग)]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव